भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1116
उत्तर देने की तारीखः 28.07.2021

उभयलिंगियों का उत्थान

1116. श्री नीरज डांगी:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में उभयलिंगी कई सामाजिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं;
(ख) यदि हां,तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन समस्याओं को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए है;
(ग) सरकार द्वारा उभयलिंगियों के उत्थान और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार उभयलिंगियों को किसी विशेष योजना के अंतर्गत व्यापार शुरू करने के लिए ऋण प्रदान कर रही है; और
(ड.) यदि हां तो लाभार्थियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री ए. नारायणस्वामी)

(क) से (ग): जी, हां। ट्रांसजेण्डर व्यक्तिय भेदभाव की अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, यथा परिवार से निष्कासन, गरिमापूर्ण जीवन-यापन का अभाव, स्वास्थ्य, आश्रय, कल्याण एवं रोजगार के लिए अपर्याप्त पहुंच आदि।

इन समस्याओं का समाधान करने के लिए, सरकार ने "उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019" अधिनियमित किया और उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण), नियमावली, 2020 को जारी की है। इनमें पहचान का प्रावधान, भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण का

अधिकार और राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों द्वारा कल्याण उपायों के प्रावधान से संबंधित समस्याओं का समाधान किया गया है।

सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियों,कार्यक्रमों,विधान एवं उनसे संबंधित परियोजनाओं के बारे में सलाह देने हेतु राष्ट्रीय उभयलिंगी व्यक्ति परिषद की स्थापना अगस्त, 2020 में की गई थी।

मंत्रालय ने 25 नवम्बर, 2020 को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल की शुरूआत की है। इस राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से कोई भी ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहचान प्रमाण पत्र और पहचान पत्र जारी करने वाले कार्यालय में उपस्थित हुए बिना इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्ति देश में कहीं से भी पहचान प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकते हैं और यह आवेदन पत्र, पहचान पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के पास उनके इनबॉक्स में सीधे ही पहुंच जाता है। यह प्रमाण पत्र जारी होने पर आवेदक इसे स्वयं डाउनलोड कर सकता है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 12 पायलट आश्रय गृहों की शुरूआत की है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए ''गरिमा गृह'' नामक आश्रय गृहों की स्थापना करने के लिए समुदाय आधारित संगठनों (सीबीओ) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। ये पायलट आश्रय गृह महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़,तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में हैं। इन आश्रय गृहों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित एवं संरक्षित आश्रय प्रदान करना है। इन आश्रय गृहों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भोजन, आवास, चिकित्सा देखभाल, मनोरंजन जैसी आधारभूत सुविधाएं दी जाएंगी और साथ ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण/कौशल विकास कार्यक्रमों का संचालन भी किया जाएगा।

(घ) : जी नहीं।

(ड.) प्रश्न नहीं उठता है।

******